

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक:-एफ18(52)एफसीए/उवसं/2023-24/ 59300
दिनांक :- 20/7/23

निमित्त,

सहायक अभियंता,
नगर परिषद, किशनगढ़,
जिला अजमेर।

विषय:- Diversion of 0.1025 Hectare Forest Land for proposed sewerage project Kishangarh under amrit yojana, District Ajmer, Rajasthan Forest diversion proposed under Forest (Conservation) Act 1980. Proposal no. FP/RJ/PIPELINE/42970/2019

संदर्भ:- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 6737 दिनांक 07.01.2022, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3696 दिनांक 16.12.2021 एवं राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(93)वन/2021 जयपुर दिनांक 14.12.2021 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 635 दिनांक 02.02.2022, पत्रांक 9745 दिनांक 20.10.2022, पत्रांक 11630 दिनांक 16.12.22 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्रों से विषयान्तर्गत प्रकरण में उच्च कार्यालय द्वारा राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(93)वन/2021 जयपुर दिनांक 14.12.2021 से प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 635 दिनांक 02.02.2022, पत्रांक 9745 दिनांक 20.10.2022 से आपको डिमांड नोट जारी कर पालना हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। आपके द्वारा लगभग दो वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी डिमांड राशि एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना नहीं की जा रही है। प्रकरण जन हित का होने के कारण पालना के अभाव में होने वाले विलम्ब के लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अलग-अलग चार प्रतियों में मय सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति भिजवावें एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(93)वन/2021 जयपुर दिनांक 14.12.2021 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 के अनुसार नवीन एन पी वी राशि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	वि.वि.
1	शर्त बिन्दु संख्या 11 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरो को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online submission & Monitoring of Forest & Wildlife clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करानी है। इस हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत 10 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव करने हेतु राशि वर्तमान श्रमिक दर 259-/- को समायोजित करते हुए 280077/-रुपये अंतर राशि सहित है।	280077/-	कुल राशि रु. 378250/- को OSMFWCP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराई जावे।
2	शर्त बिन्दु संख्या 21 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दि.05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 द्वारा जारी नवीनतम (एनपीवी) दरे अनुसार एनपीवी राशि को समायोजित करते हुए डिमांड राशि निम्नानुसार है:-0.1025 ha. x 957780 = 98173/-	98173/-	
	क्र.सं. 1 व 2 का योग राशि	378250.00	

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) एवं सभी बिन्दुओं की पालना मय अण्डरटेकिंग प्रेषित की जाये। साथ ही प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति भी पालना के साथ चार प्रति में प्रस्तुत करें। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

भवदीय,

(अजमेर चित्तौड़)

उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :-सम/

5931-34

दिनांक:-20/7/23

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक 9767 दिनांक 20.10.2022, एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना कराने हेतु।

उप वन संरक्षक
अजमेर